न्यायालय अतिरिक्त संभागीय आयुक्त जयपुर

अपील जीसीएमएस नम्बर 2026/48

1. सुरजी देवी पत्नि कैलाश चन्द निवासी ग्राम जुगलपुरा, तहसील श्रीमाधोपुर, जिला सीकर, राजस्थान।

– अपीलान्ट

बनाम

1. उपखण्ड अधिकारी श्रीमाधोपुर, जिला सीकर, राजस्थान।
2. तहसीलदार श्रीमाधोपुर, जिला सीकर, राजस्थान।
3. पटवारी श्रीमाधोपुर, जिला सीकर, राजस्थान।

– रेस्पोडेन्ट्स

अपील अन्तर्गत धारा 75 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 विरूद्ध अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी श्रीमाधोपुर, जिला सीकर निर्णय दिनांक 05.01.2022 जो प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 131 व 132 एल.आर.एक्ट रास्ता प्रकरण बउनवानी तहसीलदार श्रीमाधोपुर बनाम कमला देवी, मुकदमा नंबर..../2021 पर पारित किया गया है।

उपस्थित :–

1. श्री सुनील कुमार शर्मा, वकील अपीलान्ट।
2. राजकीय अधिवक्ता, रेस्पोडेन्ट संख्या 1 लगायत 3 की ओर से।

निर्णय

दिनांक :– 12.05.2026

1. यह अपील राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 75 के अन्तर्गत उपखण्ड अधिकारी श्रीमाधोपुर, जिला सीकर के निर्णय दिनांक 05.01.2022 के खिलाफ प्रार्थना पत्र धारा 96 सी.पी.सी. एवं प्रार्थना पत्र दफा 5 मियाद अधिनियम के साथ दिनांक 18.02.2026 को प्रस्तुत हुई है।

2. प्रकरण के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि तहसीलदार श्रीमाधोपुर द्वारा राजस्व (ग्रुप–6) विभाग द्वारा जारी परिपत्र क्रमांक प. 3(2) राज–6/2003/पार्ट जयपुर दिनांक 10.08.2016 की पालना में प्रशासन गांवों के संग अभियान–2021, कैम्प ग्राम पंचायत सांवलपुरा तवरान में पटवार मण्डल सांवलपुरा तवरान के राजस्व ग्राम जुगलपुरा में स्थित भूमि खसरा नम्बर 31, 32, 34 के कुल 3 रकबों में से रास्ते हेतु प्रस्तावित रकबे की भूमि में प्रस्तावित रास्ता ढाणी पबडियान स्कूल से ढाणी जगू मीणा को जाता है, जो कदीमी प्रचलित रास्ता है तथा मौके पर वर्तमान में कच्चा रास्ता चालू है। उक्त प्रचलित रास्ते के प्रस्ताव, नक्शा ट्रेस व जमाबंदी के आधार पर राजस्व रिकॉर्ड में गै0मु0 रास्ता दर्ज करने की अभिशंषा रिपोर्ट मय प्रस्ताव उपखण्ड अधिकारी श्रीमाधोपुर को भिजवाया गया।

   जिस पर अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी श्रीमाधोपुर द्वारा राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 131 व 132 के तहत प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया गया एवं राजस्थान भू–राजस्व अभिलेख नियम 1957 के नियम 58, 59, 60, 66 व 86 के प्रावधानानुसार तहसीलदार श्रीमाधोपुर, जिला सीकर के प्रेषित प्रस्ताव दिनांक 11.11.2021 को स्वीकार किया जाकर तहसीलदार श्रीमाधोपुर को निर्देशित किया गया कि पटवार मण्डल सांवलपुरा तवरान, तहसील श्रीमाधोपुर के राजस्व ग्राम जुगलपुरा के कृषि भूमि खसरा नम्बर 31 रकबा 0.03 है0, ख0 नं0 32 रकबा 0.03 है0, ख0 नं0 34 रकबा 0.14 है0, कुल किता 3, कुल रकबा 0.20 है0 (लगभग रास्ते की चौडाई 20 फुट) भूमि मौके पर चालू रास्ते का अंकन राजस्व रिकॉर्ड एवं राजस्व

अति. संभागीय आयुक्त
जयपुर

नक्शें में परिशिष्ठ–ए में वर्णितानुसार करवाने व संलग्न नक्शा ट्रेस में अंकित/दर्ज खातेदारी भूमियों मे से प्रस्तावित रास्ते को गैर मुमकीन रास्ते के रूप में दर्ज किये जाने एवं गैर मुमकीन रास्ते में आने वाली भूमियों का लगान कम किये जाने तथा गैर मुमकीन रास्ते की भूमि सम्बन्धित खातेदारान् के खाते में ही दर्ज रखने एवं तहसीलदार श्रीमाधोपुर से प्राप्त प्रस्ताव व नक्शा ट्रेस को उक्त आदेश का भाग रखे जाने के अपीलाधीन आदेश दिनांक 05.01.2022 पारित किये गये हैं।

3. उपखण्ड अधिकारी श्रीमाधोपुर, जिला सीकर के उक्त निर्णय दिनांक 05.01.2022 से व्यथित होकर अपीलान्ट सुरजी देवी पत्नि कैलाश चन्द द्वारा यह अपील प्रार्थना पत्र धारा 96 सी.पी.सी. एवं प्रार्थना पत्र दफा 5 मियाद अधिनियम के साथ प्रस्तुत कर स्वीकार करने एवं अपीलाधीन आदेश उपखण्ड अधिकारी श्रीमाधोपुर, जिला सीकर दिनांक 05.01.2022 निरस्त किये जाने की प्रार्थना की गयी है।

4. अपील प्रस्तुत होने पर रेस्पोडेन्ट्स की तलबी की गई। अधीनस्थ न्यायालय का रिकार्ड तलब किया गया। उभयपक्ष के अधिवक्ताओं की बहस सुनी गई।

5. अपीलान्ट के योग्य अधिवक्ता ने बहस के दौरान अपील मीमों में अंकित तथ्यों को दौहराते हुये मुख्य रूप से कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजी साक्ष्य व कानूनी प्रावधानों के विपरीत होने से निरस्त किये जाने योग्य है। माननीय अधीनस्थ न्यायालय के आदेश कानूनी प्रावधानों के बाहर जाकर पारित किया गया है। प्रार्थीया/अपीलान्ट की उपरोक्त खातेदारी व कब्जेकाश्त की भूमि आराजी हाल खसरा नम्बर 31, 32 व 34 वाकै मौजा जुगलपुरा, पटवार हल्का सांवलपुरा तंवरान, तहसील श्रीमाधोपुर, जिला सीकर में कभी किसी प्रकार का कच्चा एवं पक्का रास्ता नही रहा ना ही आज दिन तक मौके पर रास्ता मौजूद है तथा ना ही राजस्व रिकोर्ड के नक्शें में किसी प्रकार का रास्ते का अंकन मौजूद नही है, प्रार्थीया/अपीलान्ट उक्त भूमि पर कृषि कार्य करती चली आ रही है और प्रार्थीया के बिना सुने ही विधि विरूद्ध तरीके से उक्त आदेश पारित किया गया है जो कि निरस्त किये जाने योग्य है। अधीनस्थ न्यायालय के पीठासीन अधिकारी महोदय द्वारा विधि विरूद्ध तरीके से एवं कानून का उल्लंघन करते हुये तहसीलदार महोदय द्वारा कार्यालय में रिपोर्ट बनाकर विधि विरुद्ध तरीके से पटवारी महोदय द्वारा सांझ कर गलत रूप से रिपोर्ट तैयार कर अधीनस्थ न्यायालय से प्रार्थीया/अपीलान्ट की भूमि में रास्ता निकाले जाने के आदेश पारित करवाये गये है। जबकि ना तो मौके पर रास्ता है और ना ही पटवारी हल्का तथा तहसीलदार द्वारा मौके की जाँच की गयी अपितु अधीनस्थ न्यायालय ने प्रार्थीया/अपीलान्ट को बिना सूचित किये एवं अवैध तरीके से उक्त रास्ता निकाला गया है। जो कि नियम विरूद्ध है। इसलिये अधीनस्थ न्यायालय का आदेश निरस्त किये जाने योग्य है। राज्य सरकार द्वारा जारी परिपत्र दिनांक 10.08.2016 में स्पष्ट रूप से अंकित है कि निजी भूमि में जहां कि मौके पर बारहमासी रास्ते है जो ऋतु के अनुसार परिवर्तित नहीं होते है एवं आमजन के लिये आने जाने के लिये उपलब्ध है उन्ही रास्तों को हाल नक्शे व राजस्व रिकार्ड में राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 131, 132 एवं राजस्थान भू राजस्व अभिलेख नियम 1957 की धारा 58, 59, 60, 61, 66, 86 के अंतर्गत उपखण्ड अधिकारी को रास्ता दर्ज किये जाने के आदेश का अधिकार प्रदान किया गया है परन्तु उपरोक्त प्रकरण में न तो कोई मोके पर स्थाई चालू रास्ता है ना ही राजस्व रिकार्ड अथवा नक्शे में कोई रास्ता दर्ज है अपितु आराजी हाल खसरा नम्बरों पर प्रार्थीया/अपीलान्ट अपना कृषि कार्य करती हुयी आ रही है एवं अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष तहसीलदार महोदय विधि विरूद्ध जाकर बिना मौके की वस्तुस्थिति देखे एवं बिना राजस्व रिकोर्ड का विधिवत अवलोकन किये

अति. संभागीय आयुक्त
जयपुर

बिना ही रिपोर्ट प्रस्तुत की गयी है जो देखने मात्र से यह स्पष्ट जाहिर होता है कि उक्त रिपोर्ट विधि विरूद्ध तरीके से बनाई गई है जो कि निरस्त किये जाने योग्य है।

पटवारी महोदय सांवलपुरा द्वारा जो रिपोर्ट दिनांक 06.10.2021 को बनाई गई है वह खसरा संख्या 31, 32, 34 के बारे में बनाई गई है जिसमें ना तो सभी खातेदारों के नाम अंकित किये गये है मात्र तीन खातेदार कमला देवी, कल्याण व अर्जुन का नाम दर्शाया गया है जबकि उक्त खसरा नं. 32 में करीबन 8 खातेदार है और खसरा नं. 33 में करीबन 28 खातेदार है उक्त सभी खसरा नम्बरों के किसी भी पक्षकार के उक्त मौका रिपोर्ट में कहीं पर भी हस्ताक्षर नहीं करवाये गये और ना ही किसी खातेदार की सहमति ली गई है। मात्र प्रार्थीया/अपीलान्ट को नुकसान पहुँचाने की नियत से उक्त पटवारी व तहसीलदार महोदय द्वारा विधि विरूद्ध रिपोर्ट बनाकर के उक्त आदेश पारित करवा लिया गया जो कि निरस्त किये जाने योग्य है। पटवारी महोदय द्वारा जो रिपोर्ट बनायी गई है वह दिनांक 06.10.2021 को बनाई गई है और तहसीलदार महोदय द्वारा उक्त रिपोर्ट में दिनांक 20.10.2021 को हस्ताक्षर किये जाते है और जो नक्शा बनाया गया है उसमें दिनांक 06.10.2021 दर्शाया जाता है और शिविर प्रभारी के हस्ताक्षर उक्त प्रकरण में दिनांक 05.01.2022 को किये जाते है। इसका मतलब यह है कि तहसीलदार महोदय व पटवारी महोदय द्वारा कभी भी मौके कि जाँच नहीं की गई और ना ही तहसीलदार महोदय कभी मौके पर गये अगर तहसीलदार महोदय मौके पर जाते तो तहसीलदार महोदय व पटवारी महोदय दोनों के हस्ताक्षर एक ही दिन होते और जो नक्शा बनाया गया है वह भी विधि विरुद्ध तरीके से बनाया गया उक्त नक्शे में भी कॉट छाँट कर बनाया गया है इसलिये अधीनस्थ न्यायालय द्वारा जो आदेश पारित किये गये है, वह निरस्त किये जाने योग्य है। माननीय न्यायालय उपखण्ड अधिकारी महोदय द्वारा भी निर्णय दिनांक 05.01.2022 को किया गया है उसमें भी कॉट छाँट की गई है क्योंकि पूर्व में निर्णय की तारीख 11.11.2021 नियत की गई है और उक्त निर्णय पत्रावली में कहीं पर भी मुकदमा संख्या नहीं दर्शाये गये है और ना ही कोई निर्णय या विविध प्रार्थना–पत्र संख्या अंकित किया गया है उक्त निर्णय देखने मात्र से यह लगता है कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा विधि का दुरूपयोग करते हुये उक्त निर्णय पारित किया गया है जो कि निरस्त किये जाने योग्य है। उक्त रास्ते के अलावा भी अन्य रास्ते सुविधाजनक उपलब्ध है और पूर्व में भी प्रार्थीया/अपीलान्ट द्वारा अपने खसरा नम्बर 34 में अन्य रास्ता दिया हुआ है अगर चाहे तो पूर्व में दिये गये रास्ते को ही आगे बढाते हुये रास्ता ले सकते थे परन्तु प्रार्थीया/अपीलान्ट को हैरान–परेशान करने की नियत से उक्त प्रार्थीया की भूमि में से गलत तरीके से रास्ता दिये जाने के आदेश पारित किये गये है जो कि निरस्त किये जाने योग्य है।

पटवारी महोदय सांवलपुरा की रिपोर्ट दिनांक 06.10.2021 को बन गई थी और नक्शा भी दिनांक 06.10.2021 को बन गया था तो ऐसा कौनसा कारण था कि उपखण्ड अधिकारी महोदय द्वारा तहसीलदार महोदय को बिना मौके की जाँच करवाये दिनांक 05.01.2022 को निर्णय पारित कर दिया गया जबकि उक्त निर्णय में कॉट छाँट कर पूर्व का निर्णय दिनांक 11.11.2021 को काटा गया और पुनः दिनांक 05.01.2022 को निर्णय पारित किया गया जिसकों दर्ज भी नहीं किया गया इसलिये अधीनस्थ न्यायालय का आदेश निरस्त किये जाने योग्य है। विधि का सुव्यस्थित सिद्धान्त है कि जब भी किसी पक्षकार से कोई जमीन रास्ते के लिये ली जाती है तो कम से कम उन पक्षकारों को विधि सम्मत नोटिस तामिल करवाये जाने चाहिये उसके पश्चात सुन समझकर के साक्ष्य का सम्पूर्ण अवसर देते हुये निर्णय पारित करना चाहिये परन्तु तहसीलदार, पटवारी महोदय एवं अधीनस्थ न्यायालय द्वारा विधि का दुरूपयोग करते हुये उक्त आदेश पारित कर दिया गया जो कि निरस्त किये

अति. संभागीय आयुक्त
जयपुर

जाने योग्य है। उक्त तहसीलदार महोदय द्वारा भी रिपोर्ट पर जो हस्ताक्षर किये गये है वह भी काँट छाँट कर अलग महिना दर्शाया गया है ओर उक्त प्रकरण में अलग अलग तारीखे दर्शायी गयी है जो देखने मात्र से यह लगता है कि तहसीलदार महोदय व पटवारी महोदय द्वारा बिना विधिक प्रक्रिया अपनाकर उक्त मौका रिपोर्ट बनायी गयी है जो निरस्त किये जाने योग्य है। उपखण्ड अधिकारी महोदय द्वारा अपनी आदेशिका दिनांक 05.01.2022 में यह भी कहा गया है कि श्रीमान तहसीलदार का जरिये पत्र क्रमांक 28 दिनांक 11.11.2021 के द्वारा जो रिपोर्ट आना बतायी गयी है वह भी सरासर गलत बताई गई है क्योंकि दिनांक 11.11.2021 को कभी भी किसी भी तहसीलदार महोदय द्वारा उक्त पत्रावली में कोई रिपोर्ट बनी ही नहीं और उपखण्ड अधिकारी महोदय द्वारा गलत तरीके से आदेशिका में अंकित किया गया है, इसलिये अधीनस्थ न्यायालय का आदेश निरस्त किये जाने योग्य है।

अधीनस्थ न्यायालय द्वारा उक्त प्रकरण को बिना विधिक प्रक्रिया अपनाकर के प्रशासन गांवों के संग अभियान में लेकर के विधि विरूद्ध तरीके से आदेश पारित किया गया, जो कि निरस्त किये जाने योग्य है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांक 05.01.2022 प्रार्थीया/अपीलान्ट की अनुपस्थिति में बिना प्रार्थीया /अपीलान्ट को सूचित किये पारित किया गया है इसलिये प्रार्थीया/अपीलान्ट को उपरोक्त आदेश की जानकारी होना कतई संभव नही थी प्रार्थीया/अपीलान्ट को उक्त आदेश की जानकारी दिनांक 04.02.2026 को पटवारी से कृषि ऋण लेने हेतु जाने पर हुयी जिस पर प्रार्थीया/अपीलान्ट बिना देरी अधीनस्थ न्यायालय की नकल प्राप्त कर श्रीमान के समक्ष अपील प्रस्तुत की है जो जानकारी अन्दर मियाद प्रस्तुत है। प्रार्थीया/अपीलान्ट अशिक्षित ग्रामीण परिवेश की महिला है और कानूनी ज्ञान की जानकारी नही होने पर प्रार्थीया/अपीलान्ट जयपुर मे आकर अधिवक्ता से राय लेकर उक्त अपील श्रीमान के समक्ष प्रस्तुत कर रही है। अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी श्रीमाधोपुर द्वारा अपने निर्णय दिनांक 05.01.2022 के द्वारा प्रार्थीया /अपीलान्ट की खातेदारी भूमि आराजी हाल खसरा नम्बर 31, 32, 34 वाकै मौजा जुगलपुरा, पटवार हल्का सांवलपुरा तंवरान, तहसील श्रीमाधोपुर जिला सीकर में गैर मुमकिन रास्ता दर्ज किये जाने के आदेश पारित किये गये है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा बिना प्रार्थीया/अपीलान्ट को पक्षकार बनाये व बिना सुनवायी का उपर्युक्त अवसर दिये उपरोक्त निर्णय पारित किया है जिस कारण प्रार्थीया/अपीलान्ट के खातेदारी अधिकार प्रभावित हो रहे है इसलिये प्रार्थीया/अपीलान्ट को अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित आदेश की विरूद्ध अपील प्रस्तुत करना आवश्यक हुआ। प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 96 सी.पी.सी. प्रस्तुत कर निवेदन है कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांक 05.01.2022 के विरूद्ध प्रार्थी/अपीलान्ट को अपील प्रस्तुत करने की अनुमति प्रदान करें। अतः अपील अपीलान्ट की स्वीकार की जाकर निवेदन है कि न्यायालय उपखण्ड अधिकारी श्रीमाधोपुर द्वारा पारित आदेश दिनांक 05.01.2022 के विरूद्ध भू-राजस्व अभिलेख नियम 1957 के नियम 58, 59, 60, 60 (एच) व 66 व 86 के अन्तर्गत पारित आदेश को निरस्त किये जाने के आदेश प्रदान करें।

6. रेस्पोंडेन्ट संख्या 1 लगायत 3 की ओर से राजकीय अधिवक्ता ने बहस के दौरान अपील का विरोध करते हुये मुख्य रूप से कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी श्रीमाधोपुर, जिला सीकर द्वारा विधिक प्रावधानों के अनुसार ही अपीलाधीन आदेश दिनांक 05.01.2022 पारित किया गया है, जो उचित एवं विधिसम्यक है। अतः अपील अपीलान्ट खारिज की जावे।

अति. संभागीय आयुक्त
जयपुर

7. हमने प्रकरण के अभिलेखों का अवलोकन किया। प्रकरण के तथ्यों पर विचार किया एवं पक्षकारों के योग्य अधिवक्ताओं की बहस पर मनन किया। अपीलांट अपीलाधीन

निर्णय से प्रभावित पक्षकार है, इसलिये अपील पेश करने की अधिकारी है। अपीलांट का प्रार्थना पत्र 96 सी.पी.सी. स्वीकार कर अपील पेश करने की अनुमति प्रदान की जाती है। अपीलान्ट को अपीलाधीन आदेश की जानकारी दिनांक 04.02.2026 को होते ही नकल प्राप्त करना एवं अपील जानकारी से अन्दर मियाद पेश किया जाना अपने प्रार्थना पत्र धारा 5 मियाद अधिनियम में अंकित किया गया है। अपीलान्ट द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र दफा 5 कानून मियाद अधिनियम तथा प्रार्थना पत्र के संबंध में प्रस्तुत शपथ पत्र में अंकित तथ्यों पर विश्वास करते हुये माननीय उच्चतर न्यायालय द्वारा विलम्ब के प्रकरणों में नरमी का रूख अपनाते हुये गुणावगुण के आधार पर निर्णित करने बाबत पारित नजीरों के आलोक में प्रकरण में नरमी का रूख अपनाते हुये, अपीलान्ट का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 5 कानून मियाद अधिनियम को स्वीकार किया जाकर विलम्ब को कण्डोन किया जाता है।

अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली के अवलोकन एवं उभयपक्षों की बहस पर मनन से जाहिर होता है कि तहसीलदार श्रीमाधोपुर द्वारा राजस्व (ग्रुप-6) विभाग द्वारा जारी परिपत्र क्रमांक प. 3(2) राज-6/2003/पार्ट जयपुर दिनांक 10.08.2016 की पालना में प्रशासन गांवों के संग अभियान-2021, कैम्प ग्राम पंचायत सांवलपुरा तवरान में पटवार मण्डल सांवलपुरा तवरान के राजस्व ग्राम जुगलपुरा में स्थित भूमि खसरा नम्बर 31, 32, 34 के कुल 3 रकबों में से रास्ते हेतु प्रस्तावित रकबे की भूमि में प्रस्तावित रास्ता ढाणी पबडियान स्कूल से ढाणी जगू मीणा को जाता है, जो कदीमी प्रचलित रास्ता है तथा मौके पर वर्तमान में कच्चा रास्ता चालू है। उक्त प्रचलित रास्ते के प्रस्ताव, नक्शा ट्रेस व जमाबंदी के आधार पर राजस्व रिकॉर्ड में गै0मु0 रास्ता दर्ज करने की अभिशंषा रिपोर्ट मय प्रस्ताव उपखण्ड अधिकारी श्रीमाधोपुर को भिजवाया गया।

जिस पर अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी श्रीमाधोपुर द्वारा राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 131 व 132 के तहत प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया गया एवं राजस्थान भू-राजस्व अभिलेख नियम 1957 के नियम 58, 59, 60, 66 व 86 के प्रावधानानुसार तहसीलदार श्रीमाधोपुर, जिला सीकर के प्रेषित प्रस्ताव दिनांक 11.11.2021 को स्वीकार किया जाकर तहसीलदार श्रीमाधोपुर को निर्देशित किया गया कि पटवार मण्डल सांवलपुरा तवरान, तहसील श्रीमाधोपुर के राजस्व ग्राम जुगलपुरा के कृषि भूमि खसरा नम्बर 31 रकबा 0.03 है0, ख0 नं0 32 रकबा 0.03 है0, ख0 नं0 34 रकबा 0.14 है0, कुल किता 3, कुल रकबा 0.20 है0 (लगभग रास्ते की चौडाई 20 फुट) भूमि मौके पर चालू रास्ते का अंकन राजस्व रिकॉर्ड एवं राजस्व नक्शें में परिशिष्ठ-ए में वर्णितानुसार करवाने व संलग्न नक्शा ट्रेस में अंकित/दर्ज खातेदारी भूमियों मे से प्रस्तावित रास्ते को गैर मुमकीन रास्ते के रूप में दर्ज किये जाने एवं गैर मुमकीन रास्ते में आने वाली भूमियों का लगान कम किये जाने तथा गैर मुमकीन रास्ते की भूमि सम्बन्धित खातेदारान् के खाते में ही दर्ज रखने एवं तहसीलदार श्रीमाधोपुर से प्राप्त प्रस्ताव व नक्शा ट्रेस को उक्त आदेश का भाग रखे जाने के अपीलाधीन आदेश दिनांक 05.01.2022 पारित किये गये।

हमारा विनम्र मत है कि अपीलान्ट/प्रार्थीया राजस्व ग्राम जुगलपुरा पटवार हल्का सांवलपुरा तवरान, तहसील श्रीमाधोपुर, जिला सीकर में स्थित भूमि आराजी खसरा नम्बर 31, 32 व 34 की रिकार्डेड खातेदार काश्तकार हैं। अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी श्रीमाधोपुर की पत्रावली के अवलोकन से यह विदित होता है कि अपीलान्ट अपीलाधीन निर्णय से प्रभावित पक्षकार है जिसको सुनवायी व सबूत का अवसर दिये बिना व बिना पक्षकार बनाये आदेश पारित किया गया है। उपखण्ड अधिकारी श्रीमाधोपुर द्वारा तहसीलदार श्रीमाधोपुर से प्राप्त प्रस्ताव का भी अवलोकन नहीं किया। उक्त रास्ता नक्शे में डोटेड रास्ते के रूप में दर्ज है अथवा नहीं एवं

अति. संभागीय आयुक्त
जयपुर

उक्त रास्ता सार्वजनिक उपयोग के रूप में आ रहा या नहीं का भी रिपोर्ट में स्पष्ट उल्लेख नहीं किया गया है। तहसीलदार श्रीमाधोपुर द्वारा उक्त प्रस्तावित रास्ते के सम्बन्ध में कोई मौका जांच नहीं की गई है केवल मात्र पटवारी द्वारा तैयार प्रस्ताव को अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी श्रीमाधोपुर, जिला सीकर को प्रेषित किया गया है। अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी श्रीमाधोपुर, जिला सीकर ने प्राप्त रास्ता प्रस्ताव का अवलोकन किये बिना ही व मौका जांच रिपोर्ट प्राप्त किये बिना ही अपीलाधीन आदेश दिनांक 05.01.2022 पारित किये गये हैं, जो उचित नहीं है। ऐसी स्थिति में उक्त तथ्यों के आलोक में अपील अपीलान्ट आंशिक रूप से स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी श्रीमाधोपुर, जिला सीकर का अपीलाधीन निर्णय दिनांक 05.01.2022 निरस्त किया जाता है तथा प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी श्रीमाधोपुर, जिला सीकर को इन निर्देशों के साथ प्रतिप्रेषित किया जाता है कि न्यायिक सिद्धान्तों की पालना सुनिश्चित करते हुये मौका स्थिति का वास्तविक आंकलन कर उभय पक्षकारान को सुनवाई, साक्ष्य, सबूत एवं दस्तावेजात प्रस्तुत करने बाबत युक्तियुक्त अवसर प्रदान कर राजस्व विभाग द्वारा जारी परिपत्र दिनांक 10.08.2016 की पालना सुनिश्चित करते हुये प्रकरण में पुनः विधि सम्मत निर्णय पारित करें।

अतः आदेश है कि अपील अपीलान्ट आंशिक रूप से स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी श्रीमाधोपुर, जिला सीकर का अपीलाधीन निर्णय दिनांक 05.01.2022 निरस्त किया जाता है तथा प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी श्रीमाधोपुर, जिला सीकर को इन निर्देशों के साथ प्रतिप्रेषित किया जाता है कि न्यायिक सिद्धान्तों की पालना सुनिश्चित करते हुये मौका स्थिति का वास्तविक आंकलन कर उभय पक्षकारान को सुनवाई, साक्ष्य, सबूत एवं दस्तावेजात प्रस्तुत करने बाबत युक्तियुक्त अवसर प्रदान कर राजस्व विभाग द्वारा जारी परिपत्र दिनांक 10.08.2016 की पालना सुनिश्चित करते हुये प्रकरण में पुनः विधि सम्मत निर्णय पारित करें।

(दीप्ति कछवाहा)
अति.संभागीय आयुक्त,
जयपुर

अति. संभागीय आयुक्त
जयपुर

निर्णय आज दिनांक 12.05.2026 को खुले न्यायालय में सुनाया गया ।

अति.संभागीय आयुक्त,
जयपुर

अति. संभागीय आयुक्त
जयपुर